

## प्रेस नोट

दिनांक 07.09.2021

सराहनीय कार्य थाना पीपरपुर पुलिस

**15 हजार रुपये का ईनामिया अभियुक्त गिरफ्तार ।**

जनपद अमेठी में अपराध एवं अपराधियों के धर पकड़ हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 07.09.2021 को प्र०नि० रतन सिंह थाना पीपरपुर मय हमराह द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु०अ०सं० 226/21 धारा 2,3(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त राजेश कुमार जयसवाल पुत्र रामकरन जयसवाल नि० 19 गौराबारिक अमहट थाना कोतवाली सुल्तानपुर जनपद सुल्तानपुर वर्तमान पता दहियावां थाना पीपरपुर जनपद अमेठी को दुर्गापुर चौराहे के पास से समय करीब 11:05 बजे दिन में गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्त राजेश कुमार जयसवाल मुकदमा उपरोक्त में वांछित व रुपये 15 हजार का ईनामिया अभियुक्त है । थाना पीपरपुर द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –**

- राजेश कुमार जयसवाल पुत्र रामकरन जयसवाल नि०19 गौराबारिक अमहट थाना कोतवाली सुल्तानपुर जनपद सुल्तानपुर वर्तमान पता दहियावां थाना पीपरपुर जनपद अमेठी ।

**पंजीकृत अभियोग-**

- मु०अ०सं० 226/21 धारा 2,3(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट थाना पीपरपुर जनपद अमेठी ।

**गिरफ्तार करने वाली टीम-**

1. प्र०नि० रतन सिंह थाना पीपरपुर जनपद अमेठी ।
2. हे०का० आमोद सिंह थाना पीपरपुर जनपद अमेठी ।

**अभियुक्त का अपराधिक इतिहास- एचएस न०- 5बी**

1. मु०अ०सं० 23/18 धारा 504,506,353 भादवि व 2/3 सार्वजनिक सम्पत्ति पूर्ति निवारण अधि० थाना पीपरपुर अमेठी ।
2. मु०अ०सं० 89/19 धारा 60/72 आबकारी अधि० व 272 भादवि थाना लम्भुआ सुल्तानपुर ।
3. मु०अ०सं० 229/19 धारा 2/3(1)उ०प्र० गैंगेस्टर एक्ट थाना लम्भुआ जनपद सुल्तानपुर ।
4. मु०अ०सं० 359/20 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना संग्रामपुर जनपद अमेठी ।
5. मु०अ०सं० 406/20 धारा 420,467,468,471,257,258,272,307,120 बी भादवि व 60/72 आबकारी अधि० व 63 कापी राईट एक्ट व 104 ट्रेडमार्क अधि० थाना अमेठी जनपद अमेठी ।